FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0305   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 19/11/2025 12:51 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. Day(दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 18/07/2025   Date To (दिनांक तक): 20/07/2025

Time Period (समय अवधि): पहर   Time From (समय से): 16:00 बजे   Time To (समय तक): 10:41 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 19/11/2025   Time (समय): 11:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001   Date & Time (दिनांक एवं समय) 19/11/2025 12:51:31 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 350 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): SETELAITE HOSPITAL, JHALARAPATAN, JILA JHALAWAR

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SABIR ALI

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** MAZID ALI

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1995 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	JHALARAPATAN, JHALRA PATAN, JHALAWAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	SUKET, JILA KOTA, SUKET, KOTA RURAL, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DEVENDRA SINGH		पिता:MAHARAJ SINGH	1. GRAM AVM POST KASOT,DEEG,BHARATPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,000.00

0. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 5,000.00

1. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 18.07.2025 समय 04.00 पी.एम. पर परिवादी श्री साबिर अली पुत्र श्री माजिद अली जाति मुसलमान उम्र 30 साल निवासी- सुकेत जिला कोटा हाल झालरापाटन जिला झालावाड ने एसीबी कार्यालय कोटा पर उपस्थित होकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार को एक हस्त लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "मैं साबिर अली पुत्र माजिद अली सुकेत का निवासी हूं। मेरे ही गांव के सिराजुददीन व हमारे परिवार के मध्य रास्ते का विवाद है। जिसकी सुनवाई कलेक्टर कार्यालय कोटा में व रामंगजमण्डी सिविल कोर्ट में चल रहा है तथा माजिद अली को सिविल कोर्ट से रास्ते पर स्टे भी मिला हुआ है। सिराजुददीन ने मेरे पिताजी के खिलाफ सुकेत थाने में मुकदमा नम्बर 45/2025 दर्ज करा रखा है। जिसके लिये हमने हाईकोर्ट में याचिका दर्ज करवाई थीं। याचिका पर हाईकोर्ट ने मेरे पिताजी की गिरफ्तारी पर स्टे दे रखा है। इसके बावजूद थाने वाले हमको परेशान कर रहे है। उक्त मुकदमें की जांच थाना सुकेत के देवेन्द्र स0उ0नि0 द्वारा किया जा रहा है। देवेन्द्र स0उ0नि0 ने थाने के कानिस्टेबल सलीम से फोन करवाकर मुझे थाने पर बुलाया। मै थाने पर गया तो वहां पर मुझे सलीम कानिस्टेबल मिला जिसने मुझसे कहां कि एक लाख रूपये दे दो तो देवेन्द्र एएसआई तेरे पिताजी के विरूद्ध सिराजुददीन द्वारा दर्ज करवाये गये मुकदमें में एफआर लगा देंगे तथा अगर एक लाख रूपये नही दिये तो तुझे तथा तेरे भाई को भी मुकदमे में मुल्जिम बनाकर तुम तीनों को जेल भिजवा देंगे। मैने उसको परिवार में बात करके बताने के लिये कह कर तथा देवेन्द्र सउनि से बात करवाने की कहकर थाने से वापस आ गया। उसके बाद देवेन्द्र एएसआई मुझे मिलने के लिये व मुकदमें में एफआर लगाने की बातचीत के लिये बार बार बुला रहा है। मै सलीम कानिस्टेबल व देवेन्द्र सउनि को रिश्वत नही देना चाहता हू तथा उनको रिश्वत लेते हुये पकडवाना चाहता हूं। मेरी देवेन्द्र सउनि व सलीम से पूर्व में रंजिस नही है ना ही कोई लेनदेने बकाया है। "उक्त रिपोर्ट पर कार्यवाही हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ने मन् उप अधीक्षक को अपने कक्ष मे बुलाकर उपस्थित परिवादी से आपसी परिचय करवाया श्री साबिर अली द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये। समय 05.00 पी.एम. पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार मन् उप अधीक्षक पुलिस, परिवादी श्री साबिर अली को साथ लेकर स्वयं के कक्ष मे आया तथा परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व मजीद दरयाप्त से मामला रिश्वत मांग का होने एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की परिधी में आना पाया जाने से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने सें कार्यालय में कार्यरत श्री मनोज कुमार कानि नं. 211 को अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री साबिर अली व श्री मनोज कुमार कानि नं. 211 का आपसी परिचय करवाया गया। कार्यालय के मालखाने से डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के निकलवाया गया तथा परिवादी श्री साबिर अली को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु व बंद करने व रिकॉर्ड करने की विधि समझाई गई। समय 05.30 पी.एम. पर परिवादी श्री साबिर अली ने बताया कि आरोपीगण से आज रिश्वत मांग के सम्बन्ध में वार्ता होना सम्भव नही है। आरोपीगण जैसे ही मुझे बुलायेंगे मैं आपको सूचित कर दूंगा। डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड वापस मालखाने में रखवाया गया। श्री मनोज कुमार कानिस्टेबल 211 को व परिवादी को मुनासिब हिदायत दी जाकर परिवादी श्री साबिर अली को कार्यालय से रूखसत किया गया। दिनांक 20.07..2025 समय 12.10 पी.एम. पर श्री मनोज कुमार कानिस्टेबल 211 ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि थोडी देर पहले परिवादी श्री साबिर अली ने मुझे सत्यापन कार्यवाही हेतु आने के लिये कॉल किया है। इस पर कार्यालय के मालखाने से डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के निकलवाया जाकर श्री मनोज कुमार कानिस्टेबल 211 को सुपुर्द किया गया और परिवादी श्री साबिर अली से सम्पर्क कर गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन कराने के निर्देश देकर मुनासिब हिदायत कर झालावाड रवाना किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर की फर्द सुपुर्दगी पृथक सें बनाकर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 21.07..2025 समय 00.42 ए.एम. पर श्री मनोज कुमार कानिस्टेबल 211 ने मन् उप अधीक्षक को कॉल कर बताया कि परिवादी श्री साबिर अली से आरोपी श्री देवेन्द्र सउनि थाना सुकेत जिला कोटा ग्रामीण से रिश्वत मांग के सम्बन्ध में वार्ता हो गई है। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को मैने सुना है। वार्ता में आरोपी देवेन्द्र सउनि ने परिवादी से उसके पेण्डिंग कार्य व एक लाख रूपये की रिश्वत मांग के सम्बन्ध में वार्ता कर पचास हजार रूपये रिश्वत लेने के लिये सहमत हुआ है। जिसमें से "कुछ रकम आज दोपहर या शाम तक देने की कहा है" और बाकि काम होने के बाद देने की

कहा है। इस पर मनोज कुमार कानिस्टेबल को मय परिवादी मय डीवीआर मय मेमोरी कार्ड कार्यालय में आने के निर्देश दिये गये। समय 09.30 ए.एम.पर श्री मनोज कुमार कानिस्टेबल 211 मय डीवीआर मय मेमोरी कार्ड मय परिवादी श्री साबिर अली के कार्यालय हाजा उपस्थित आया और मन् उप अधीक्षक पुलिस को पूर्व में बताये सत्यापन हालात दौहराते हुये डीवीआर मय मेमोरी कार्ड पेश किया। मन् उप अधीक्षक ने परिवादी से पूछताछ कर डीवीआर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के अंशो को सुना तो पूर्व में कॉल कर बताये सत्यापन हालात की पुष्टि होती है। वार्ता में आरोपी देवेन्द्र सउनि ने परिवादी से उसके पेण्डिंग कार्य व एक लाख रूपये की रिश्वत मांग के सम्बन्ध में वार्ता कर पचास हजार रूपये रिश्वत लेने के लिये सहमत हुआ है। जिसमें से "कुछ रकम आज दोपहर या शाम तक देने की कहा है" और बाकि काम होने के बाद देने की कहा है। डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड की फर्द प्राप्ति पृथक सें बनाकर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 10.00 ए.एम. पर ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान लाने हेतु एक तहरीर कार्यालय पत्रांक 1278 दिनांक 21.07.2025 श्रीमान संयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कोटा के नाम जारी कर श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158 को रवाना किया गया। समय 11.00 ए.एम. पर श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158 कार्यालय श्रीमान संयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कोटा से दो कार्मिक श्री विशाल गौतम पुत्र श्री सत्यनारायण गौतम उम्र 33 साल जाति ब्राहम्ण निवासी पुरानी खातौली थाना खातौली जिला कोटा हाल कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारीता विभाग कोटा मोबाईल नं.[redacted] व श्री सपन गुप्ता पुत्र श्री प्रकाशचन्द गुप्ता उम्र 40 साल निवासी मकान न0 40 गली न0 10 सरस्वती कोलोनी जिला कोटा हाल सुचना सहायक, कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारीता विभाग कोटा मोबाईल नं.[redacted]उपस्थित आये। दोनों स्वतंत्र गवाहान का परिवादी श्री साबिर अली से आपसी परिचय करवाया जाकर होने वाली कार्यवाही सें अवगत कराया जाकर ट्रेप कार्यवाही में साथ रहने की अनुमति चाही तो उन्होने सहमति दी। तत्पश्चात् दोनो गवाहान को परिवादी का प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया गया तथा सुन समझ सही मान प्रार्थना पत्र पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपने अपने हस्ताक्षर किये। समय 11.30 ए.एम. पर परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष डिजीटल वॉईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो परिवादी साबिर अली व आरोपी देवेन्द्र सउनि थाना सुकेत जिला कोटा ग्रामीण के मध्य 20.07.2025 को हुई थी, को कार्यालय के लेपटॉप में श्री मनोज कुमार कानि. 211 के द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कनेक्ट कर स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाया, जिसमें रिकॉर्ड वार्ता मे से परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी देवेन्द्र सउनि की पहचान कर होना बताया। उक्त वार्ता की मन् उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री मनोज कुमार कानि. 211 द्वारा फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हुबहू नियमानुसार तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गया। समय 05.00 पी.एम. पर गवाहान श्री विशाल गौतम व श्री सपन गुप्ता के समक्ष परिवादी श्री साबिर अली पुत्र श्री माजिद अली उम्र 30 साल जाति मुसलमान निवासी सुकेत जिला कोटा हाल झालारापाटन जिला झालावाड ने बताया कि श्री देवेन्द्र सिंह एएसआई थाना सुकेत जिला कोटा ग्रामीण ने कुछ रकम आज दोपहर या शाम तक देने की कहा है, जिससे मैंने रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय मुद्रा के पांच सौ के दस नोट कुल 5,000/- रूपये अपने पास से निकालकर मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये, जिनके नम्बर इस प्रकार हैं-

क्र. सं. नोट का विवरण नोट के नम्बर

1. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 6BF375602
2. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9HM539793
3. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 6VH921228
4. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 4PP012984
5. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5BB862691
6. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1UK982603
7. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5DN980891
8. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7GT237655
9. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8GH867918
10. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9HU557556

श्री बृजराज सिहं हेड कानि. नं. 144 के द्वारा मालखाने से फिनोंफ्थलीन पावडर की शीशी निकलवाकर उक्त नोट को एक अखबार के ऊपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोफथलीन पावडर लगवाया गया। परिवादी श्री साबिर अली की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री विशाल गौतम से लिवाई गई। परिवादी के पास उसके पहने हुए वस्त्रों एवं मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। आरोपी को रिश्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुये उक्त भारतीय मुद्रा के पांच सौ रूपये के दस नोट कुल 5000 रूपये को परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की दायीं जेब मे श्री बृजराज सिहं हेड कानि. 144 से सीधे ही रखवाये गये। इसके बाद एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में पानी की बोटल से साफ पानी लिया जाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेंट पावडर डालकर घोल तैयार करवाया गया, जिसे गवाहान् एवं परिवादी को दिखाया गया तो

सभी ने घोल का रंग रंगहीन होना बताया। उक्त रंगहीन घोल में श्री बृजराज सिहं हेड कानि. 144 के हाथ की अंगुलियों को डालकर धुलवाया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया को गवाहान् एवं परिवादी को दृष्टांत देकर समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इस नोंट को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेंट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। डिस्पोजल गिलास के घोल को बाहर फिंकवाया गया। जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जानेवाली राशि/नोट पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था एवं दृष्टांत में काम मे लिये गये डिस्पोजल गिलास को श्री बृजराज सिहं हेड कानि. 144 से जलवाया जाकर नष्ट करवाया गया। श्री बृजराज सिहं हेड कानि. 144 के हाथां एवं ट्रेप कार्यवाही में काम में आने वाली शीशियां को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि उक्त नोटो को रास्ते में अनावश्यक रूप से नहीं छुयें एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि निकालकर देवें। आरोपी से रिश्वत राशि व स्वयं के कार्य के संबंध मे स्पष्ट वार्ता करे तथा रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करे। दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी समझाया की रिश्वत के लेनदेन को यथासंभव निकट रहकर देखने व सुनने का प्रयास करें। परिवादी श्री साबिर अली को डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के दिया जाकर चालू व बंद करने का तरीका पुनः समझाया जाकर हिदायत दी कि वक्त रिश्वत लेनदेन उसके एवं आरोपी के मध्य होने वाली वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करे। उक्त कार्यवाही की फर्द नियमानुसार मुर्तिब की जाकर गवाहान् व परिवादी को पढ़कर सुनाई, और सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 05.30 पी.एम. पर श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक मय जाप्ता श्री योगेन्द्र कानि 282 तथा श्री रवि यादव कानि 285 श्री योगेन्द्र कानि 282 तथा श्री अभिषेक कानि 197 को प्राईवेट वाहन रवाना कर उनके पीछे मन् उप अधीक्षक पुलिस अनिष अहमद मय परिवादी साबिर अली व दोनो स्वतंत्र गवाहान मय जाप्ता श्री नरेन्द्र सिंह है0का0 140, मनोज कुमार कानिस्टेबल 211 मय सरकारी बोलेरो वाहन संख्या 9357 मय चालक श्री तंवर सिंह 506 मय डीवीआर मय मेमोरी कार्ड मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों व सरकारी लेपटोप मय प्रिंन्टर, ट्रेप बॉक्स के झालावाड के लिए रवाना होकर समय 08.00 पी.एम.पर मन् उप अधीक्षक पुलिस अनिष अहमद मय परिवादी साबिर अली व दोनो स्वतंत्र गवाहान मय जाप्ता मय साथ लाये वाहनों के परिवादी द्वारा बताये गोपनीय स्थान सेटैलाईट अस्पताल के सामने झालावाड पहुंचे। रिश्वत राशि दिलवाये जाने हेतु परिवादी साबिर अली से आरोपी देवेन्द्र सिंह एएसआई थाना सुकेत जिला कोटा ग्रामीण को कॉल करवाया गया तो मोबाईल नोट रिचेबल होना पाया गया। कुछ समय बाद कॉल करवाया तो कॉल रिसीव नही हुआ। आरोपी के आने व उसका कॉल आने के इंतजार में मुकिम हुये। समय 11.00 पी.एम. पर आरोपी के नही आने व उसका कॉल नही आने पर एवं परिवादी का मोबाईल स्वीच ऑफ होने से परिवादी के भाई के मोबाईल से वॉटसप कॉल कर परिवादी साबिर अली की आरोपी देवेन्द्र सउनि से वार्ता करवायी तो आरोपी देवेन्द्र ने कहा कि अभी तो काफी टाईम हो गया है अब तो कैसे मिलना होगा। बाद में संपर्क कर लेगे। इस पर आज कार्यवाही संभव नही होने से परिवादी को मुनासिब हिदायद कर परिवादी की जेब से रिश्वत राशि 5,000 रूपये निकलवाये जाकर एक पीले रंग के कागज के लिफाफे में रखवाये जाकर स्वतंत्र गवाह श्री विशाल गौतम के पास सुरक्षित रखवायें। परिवादी से डीवीआर मय मेमोरी कार्ड प्राप्त कर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी को गोपनियता की हिदायत कर आरोपीगण का कॉल आने व उसके सम्पर्क करने पर तुरन्त मन् उप अधीक्षक पुलिस व मनोज कुमार कानिस्टेबल को बताने के निर्देश दिये गये। समय 11.30 पी.एम पर परिवादी को उसके घर जाने हेतु सकुशल रूकसत किया जाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय डीवीआर मय मेमोरी कार्ड मय रिश्वत राशि के लिफाफा मय हमराही जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान साथ लाये प्राईवेट व सरकारी वाहनों से मय ट्रेप बॉक्स व अन्य ट्रेप सामग्री के कोटा रवाना होकर दिनांक 22.07.2025 समय 02.00 एएम पर कार्यालय हाजा आया। डीवीआर मय मेमोरी कार्ड, रिश्वत राशि का लिफाफा, ट्रेप बॉक्स व अन्य ट्रेप सामग्री मालखाना में सुरक्षित रखवाये गये। स्वतंत्र गवाहान को मुनासिब हिदायत कर कार्यालय से सकुशल रूखसत किया गया। दिनांक 04.08.2025 समय 12.46 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक ने अपने मोबाईल से परिवादी श्री साबिर अली को कॉल कर होने वाली कार्यवाही के संबंध में वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि आरोपीगण द्वारा अभी तक मेरे से रिश्वत राशि के संबंध कोई बात नही की है। इस पर परिवादी के गोपनीयता की हिदायत की जाकर आरोपीगण द्वारा सम्पर्क करने पर तुरन्त सुचित करने के निर्देश दिये गये। दिनांक 12.08.2025 समय 11.51 ए.एम पर मन् उप अधीक्षक ने अपने मोबाईल से परिवादी श्री साबिर अली को कॉल कर होने वाली कार्यवाही के संबंध में वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि आरोपीगण द्वारा अभी तक मेरे से रिश्वत राशि के संबंध कोई बात नही की है तथा हमारे प्रकरण मे हाईकोर्ट में दिनांक 14.08.2025 को सुनवाई की तारीख है। इसके बाद वह मेरे से संपर्क कर सकते है। इस पर परिवादी के गोपनीयता की हिदायत की जाकर आरोपीगण द्वारा सम्पर्क करने पर तुरन्त सुचित करने के निर्देश दिये गये। दिनांक 25.08.2025 समय 12.35 पी.एम पर परिवादी साबिर अली का मन् उप अधीक्षक के मोबाईल पर फोन आया और बताया कि दिनांक 14.08.2025 को हाईकोर्ट ने एफआईआर क्वेश के प्रार्थना पत्र पर "नो कोर्सिव स्टे सेल वी टेकन अगेन्सड् द पीटीसनर" के आदेश फरमा दिये गये है। आरोपीगण द्वारा अभी तक मेरे से रिश्वत राशि के संबंध कोई बात नही की है इस पर परिवादी को गोपनीयता की हिदायद की जाकर आरोपीगण द्वारा सम्पर्क करने पर तुरन्त सुचित करने के निर्देश दिये गये। दिनांक 11.09.2025 समय 5.58 पी.एम पर परिवादी साबिर अली का मन् उप अधीक्षक के मोबाईल पर फोन आया और बताया कि आरोपीगण द्वारा अभी तक

मेरे से रिश्वत राशि के संबंध में कोई बात नही की है और आरोपीगण को एसीबी में होने वाली कार्यवाही की शंका है। अतः अब कोई कार्यवाही की संभावना नही है। मैं दिनांक 16.09.2025 को आपके कार्यालय में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित हो जाऊंगा। दिनांक 16.09.2025 समय 12.05 पी.एम पर तलविदा स्वतंत्र गवाहान श्री सपन गुप्ता व श्री विशाल गौतम व परिवादी साबिर अली कार्यालय हाजा उपस्थित आये। समय 12.20 पी.एम पर परिवादी श्री साबिर अली उपस्थित कार्यालय आया तथा एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि " मैं सुकेत जिला कोटा का निवासी हूं वर्तमान में किराये से झालावाड किराये से रह रहा हुं। थाना सुकेत मैं व मेरे परिवार के खिलाफ चल रहे प्रकरण में एफआर लगाने की एवंज में श्री देवेन्द्र सिहं एएसआई व सलीम कानिस्टेबल द्वारा एक लाख रूपये की रिश्वत की मांग करने पर मैने आपके कार्यालय मे कार्यवाही हेतु दिनांक 18.07.2025 को एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसपर कार्यवाही करते हुए दिनांक 20.07.2025 को आपके कार्यालय से श्री मनोज कुमार कानिस्टेबल को रिकोर्डर और मैमोरी कार्ड देकर झालावाड भेजा था उस दिन मेरी देवेन्द्र सिहं एएसआई थाना सुकेत से रिश्वत मांग के संबंध में बात हुई थी जो रिकोर्ड हो गई थी। इसके बाद मै और मनोज जी दिनांक 21.07.2025 को सुबह एसीबी कार्यालय आ गये थे। उस दिन ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर ट्रेप अधिकारी श्री अनिष अहमद जी मुझे, जाप्ता व गवाह को लेकर झालावाड गये थे।लेकिन उस दिन आरोपी मेरे से रिश्वत राशि लेने नही आये। आरोपीयों द्वारा इसके बाद से अबतक मेरे से रिश्वत लेने के संबंध में बात नही की है। ऐसा लगता है कि उनको कार्यवाही होने की भनक लग गयी है। अतः कार्यवाही होने की संभावना नही है। अतः मेरे द्वारा अब तक करवाई गई कार्यवाही के आधार पर ही आवश्यक कार्यवाही कर मेरे द्वारा दिनांक 21.07.2025 को पेश की 5000 रूपये रिश्वत राशि मुझे लौटाने की कृपा करें। परिवादी के प्रार्थना पत्र पर उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 20.07.2025 को समय 01.10 पीएम पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता (250720_2241) जो कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में सेव थी को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष कार्यालय के सरकारी लेपटॉप मे सेव करवाकर कार्यालय के लेपटॉप से 04 पेन ड्राईव (Sandisk Cruzer Blade TM 32 GB) में श्री मनोज कुमार कानि0 211 से कॉपी पेस्ट करवाई गयी। जिसकी फर्द प्रतिलिपिकरण पेन ड्राईव श्री मनोज कुमार कानि0 211 से तैयार करवाकर एक पेन ड्राईव वजह सबूत माननीय न्यायालय के लिये, एक पेन ड्राईव आवाज नमूना के लिए तथा एक पैन ड्राईव आरोपी के लिए कपडे की थैलीयों मे पृथक पृथक रखकर सील मोहर करके संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिए खुला रखा गया। जर्ये लेपटॉप मूल मेमोरी कार्ड की हैश वैल्य की गणना Hash checker App Is SHA256 हैशवेल्यू प्रिन्ट निकालकर शामिल पत्रावली की गई। ट्रेप कार्यवाही में कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकोर्डर में उपयोग किये गये (SanDisk microSDHC card 32 GB) मेमोरी कार्ड को डीवीआर में से निकालकर वजह सबूत माननीय न्यायालय के लिये एक कपडें की थैली में रखकर सील मोहर करके संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिये गये। कार्यवाही की फर्द डबिंग पेनड्राईव एवं जप्ती मूल मेमोरी कार्ड तैयार कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 02.00 पीएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सपन गुप्ता व श्री विशाल गौतम के समक्ष रिश्वत राशि 5000 रूपये मालखाने से निकलवाकर नोटों पर लगे फिनॉफ्थलीन पावडर को अच्छी तरह साफ करवाकर परिवादी श्री साबिर अली को सुपुर्द की गई। फर्द सुपुर्दगी मुर्तिव की जाकर पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 05.00 पीएम पर बाद कार्यवाही परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान को आवश्यक हिदायत देकर उनके गन्तव्य पर सकुशल रूखसत किया गया।

अब तक की कार्यवाही व हालात् से पाया गया कि दिनांक 18.07.2025 को समय 05.00 पी.एम. पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार मन् उप अधीक्षक पुलिस, परिवादी श्री साबिर अली को साथ लेकर स्वयं के कक्ष में आया तथा परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो प्रार्थना पत्र इस आशय का है "मैं साबिर अली पुत्र माजिद अली सुकेत का निवासी हूं। मेरे ही गांव के सिराजुददीन व हमारे परिवार के मध्य रास्ते का विवाद है। जिसकी सुनवाई कलेक्टर कार्यालय कोटा में व रामंगजमण्डी सिविल कोटा में चल रहा है तथा माजिद अली को सिविल कोर्ट से रास्ते पर स्टे भी मिला हुआ है। सिराजुददीन ने मेरे पिताजी के खिलाफ सुकेत थाने में मुकदमा नम्बर 45/2025 दर्ज करा रखा है। जिसके लिये हमने हाईकोर्ट में याचिका दर्ज करवाई थीं। याचिका पर हाईकोर्ट ने मेरे पिताजी की गिरफ्तारी पर स्टे दे रखा है इसके बावजूद थाने वाले हमको परेशान कर रहे है। उक्त मुकदमें की जांच थाना सुकेत के देवेन्द्र स0उ0नि0 द्वारा किया जा रहा है। देवेन्द्र स0उ0नि0 ने थाने के कानिस्टेबल सलीम से फोन करवाकर मुझे थाने पर बुलाया। मै थाने पर गया तो वहां पर मुझे सलीम कानिस्टेबल मिला जिसने मुझसे कहां कि एक लाख रूपये दे दो तो देवेन्द्र एएसआई तेरे पिताजी के विरूद्ध सिराजुददीन द्वारा दर्ज करवाये गये मुकदमें में एफआर लगा देंगे तथा अगर एक लाख रूपये नही दिये तो तुझे तथा तेरे भाई को भी मुकदमें में मुल्जिम बनाकर तुम तीनों को जेल भिजवा देंगे। मैने उसको परिवार में बात करके बताने के लिये कह कर तथा देवेन्द्र सउनि से बात करवाने की कहकर थाने से वापस आ गया। उसके बाद देवेन्द्र एएसआई मुझे मिलने के लिये व मुकदमें में एफआर लगाने की बातचीत के लिये बार बार बुला रहा है। मै सलीम कानिस्टेबल व देवेन्द्र सउनि को रिश्वत नही देना चाहता हू तथा उनको रिश्वत लेते हुये पकडवाना चाहता हूं। मेरी देवेन्द्र सउनि व सलीम से पूर्व में रंजिस नही है ना ही कोई लेनदेन बकाया है। " परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व मजीद दरयाप्त से मामला रिश्वत मांग का होने एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की परिधी में आना पाया जाने से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने सें

कार्यालय में कार्यरत श्री मनोज कुमार कानि नं. 211 को अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री साबिर अली व श्री मनोज कुमार कानि नं. 211 का आपसी परिचय करवाया गया। कार्यालय के मालखाने से डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के निकलवाया गया तथा परिवादी श्री साबिर अली को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु व बंद करने व रिकॉर्ड करने की विधि समझाई गई। समय 05.30 पी.एम. पर परिवादी श्री साबिर अली ने बताया कि आरोपीगण से आज रिश्वत मांग के सम्बन्ध में वार्ता होना सम्भव नही है। आरोपीगण जैसे ही मुझे बुलायेंगे मैं आपको सूचित कर दूंगा। दिनांक 20.07..2025 को रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में आरोपी देवेन्द्र सउनि ने परिवादी से उसके पेण्डिंग कार्य व एक लाख रूपये की रिश्वत मांग के सम्बन्ध में वार्ता कर परिवादी द्वारा विनय करने पर अभी इच्छा अनुसार देने तथा काम पूरा होने पर पच्चास हजार रूपये रिश्वत लेने के लिये सहमत हुआ है, वार्ता के अंश निम्नानुसार है-

आरोपी देख लूंगा यार मैं तो मेरी देख लूंगा थानदार जरूर.. ह ह

परिवादी ह ह आप तो आप ना भई

आरोपी हूं

परिवादी जो भी हम सहयोग करने के लिये तैयार है सर

आरोपी क्या बात हुई थी सलीम से

परिवादी सलीम सें तो क्या बात थी हुई उनसे तो बस यही बोला था उनने तो कर लेना बात

आरोपी कीमत की बात नही हुई

परिवादी उ हुं

आरोपी चलो

परिवादी वो तो पचास की कह रहा था सीधा सलीम तो

आरोपी मेरे से तो लाख रूपये की कह रहा था।

परिवादी ऐं

आरोपी मेरे से कहा लाख तक दे देंगे।

परिवादी मेरे से पचास की कहा था उन्होने कि पचास मांग लेंगे तो मैने कहा कर लेना सर देखो मैं इतना पैसे वाला तो हुं नही आप देवेन्द्र जी नही मान रहे मैं मैं कैसे रह रहा हूं यहां पे सर आप कसम से मैं बहुत परेशानी में रह रहा हूं यहां पे भी आप खुद सोचो आदमी घर का घर छोड के किराये के मकान में रह रहा है यहां तो कैसे रह रहा होगा

आरोपी है ना, फिर आ जाओ आप है ना कल मिले टाईम तो कल टाईम निकाल के कल आ जाना

परिवादी तो आप

आरोपी अब आप जो दे जो दे देना..., भई जो दे जो दे देना मै तो तुम्हारे पक्ष में हूं।

परिवादी तो वही तो कह रहा हूं।

आरोपी पूरा सौ परसेन्ट

परिवादी भई उसने सलीम ने की थी अब आप देख लो क्या है सर उसमें

आरोपी चलो, ठीक हैं कर लेना, जैसा भी है ,

परिवादी भई अभी तो मेरे पास में कहीं से कर कुराके आपको यू करके

आरोपी हां हां बिल्कुल सही बात है तंग नही करना है।

परिवादी मैं बहुत उसमें हूं मैं आप ताकि मेरा भी वो हो जाएं बस आप

आरोपी अभी तो कम कर लेना आप

परिवादी हां तो भई आप भी मेहनत कर रहे हो

आरोपी भई अभी आप भी उलझ रहो हो मैं भी उलझ रहा हूं अभी तो क्लीयर तो हुई ना हैं

परिवादी बस वही है सही बात है।

आरोपी नही हो ना अभी खर्च कम कर लेना बाकि जब आपका पूरा हो जाएं तो पूरा कर देना भई मैने तो दोनों बात कह दी मैने कोई बात छिपी हुई नही रखी ।

जो उक्त वार्ताओ के अंश से प्रमाणित है कि वार्ता के प्रारम्भ में आरोपी द्वारा एक लाख रूपये की मांग की गई तथा परिवादी द्वारा सलीम द्वारा बताई गई राशि पच्चास हजार रूपये देने का हवाला देकर विनय करने पर कुछ रकम आज दोपहर या शाम तक देने की कहा है और बाकि काम होने के बाद देने की कहा है। दिनांक 21.07.2025 को मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा ट्रेप का आयोजन किया गया था किन्तु उक्त दिनांक को आरोपी रिश्वत लेने के लिए परिवादी के पास नही आया। दिनांक 21.07.2025 से आज दिनांक तक आरोपी द्वारा परिवादी से कोई संपर्क नही किया गया तथा परिवादी द्वारा प्रकरण में आज रिश्वत की राशि वापस लौटाने तथा अग्रिम कार्यवाही किये जाने का प्रार्थनापत्र पेश किया। जिसपर उसको प्रकरण में दिये जाने वाली रिश्वत राशि वापस लौटाई गई। प्रकरण में परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कानिस्टेबल सलीम द्वारा रिश्वत राशि एएसआई देवेन्द्र के लिए मांग किया जाना अंकित किया है। लेकिन सत्यापन के दौरान

एएसआई देवेन्द्र स्वयं के द्वारा परिवादी से रिश्वत की मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 20.07.2025 से प्रमाणित हुआ है।
उपरोक्त सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही हालात व फर्दात् से आरोपी का उपरोक्त कृत्य अपराध धारा 7 पी. सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधन 2018) के अन्तर्गत दण्डनीय होने से आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री महाराज सिंह जाति जाट उम्र 43 साल निवासी ग्राम व पोस्ट कासोट तहसील डीग जिला भरतपुर हाल सहायक उप निरीक्षक थाना सुकेत जिला कोटा ग्रामीण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 पी. सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री देवेन्द्र सिहं एएसआई, थाना सुकेत, जिला कोटा ग्रामीण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 पी. सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को वास्ते क्रमांकन प्रेषित है। भवदीय (अनिष अहमद) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा.....कार्यवाही पुलिस.......प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अनिष अहमद उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री महाराज सिंह जाति जाट उम्र 43 साल निवासी ग्राम व पोस्ट कासोट तहसील डीग जिला भरतपुर हाल सहायक उप निरीक्षक थाना सुकेत जिला कोटा ग्रामीण के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री राजपाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ग्रामीण को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 362 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1727-30 दिनांक 19.11.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा 2- पुलिस अधीक्षक जिला कोटा ग्रामीण 3- उप महानिरीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम): RAJPAL SINGH TANWAR **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) Refused investigation due to (जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: [illegible]/2025 [illegible]

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Marks (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1982				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)